प्रश्न सं. [क्र. 3399]

परिशिष्ट-

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 3399) द्वारा श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी, सदस्य विधानसभा।

<table>
<tr><th>क्र</th><th>योजना</th><th>योजना का विवरण</th><th>लाभ लेने हेतु योग्यता/पैमाना</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013</td><td>• प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को भारत सरकार द्वारा गेहूं रूपये 2.00 प्रति किलो एवं चावल रूपये 3.00 प्रति किलो दिए जाने का प्रावधान है, जबकि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को गेहूं एवं चावल 1.00 रूपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है।</td><td rowspan="4">मध्यप्रदेश में सम्मिलित निम्न 25 श्रेणियों के पात्रता पर्चीधारी परिवारों को योजना का लाभ लेने की पात्रता है:-
1. अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार।
2. समस्त बीपीएल परिवार।
3. समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
5. साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य। हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
7. अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
8. घरेलू कामकाजी महिलाएँ।
9. फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
10. वनाधिकार पट्टेधारी।
11. रेलवे में पंजीकृत कुली।
12. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
13. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक।
14. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।
15. समस्त भूमिहीन कोटवार।
16. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
17. केशशिल्पी।
18. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
19. एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।
20. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकरदाता न हो।
21. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।
22. प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।
23. प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2013-14 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों के प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
24. प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।
25. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति।
उक्त परिवारों की पात्रता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>नमक वितरण</td><td>सामान्य क्षेत्र में समस्त पात्र परिवारों को आयोडाईज्ड नमक एवं 89 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विकासखण्डों के डबल फोर्टिफाइड नमक रू. 1 किलो प्रति परिवार की दर से वितरण किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>केरोसीन वितरण</td><td>अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 2 लीटर एवं प्राथमिकता परिवारों को 1.5 लीटर प्रति परिवार के मान से कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर वितरण किया जाता है।
शहरी क्षेत्र के जिन पात्र परिवारों के डेटाबेस में एलपीजी कनेक्शन की जानकारी प्रविष्ट है उनको छोड़कर</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दाल वितरण</td><td>फरवरी, 2019 से प्रतिमाह 1 किलोग्राम प्रति सदस्य तथा मांग अनुसार अधिकतम 4 किलोग्राम तक पात्र परिवारों को साबुत दाल का वितरण किया जाना है। चना दाल रू. 27 तथा मसूर दाल रू. 24 प्रति किलो वितरण दर निर्धारित है।</td></tr>
</table>

क्र	योजना	योजना का विवरण	लाभ लेने हेतु योग्यता/पैमाना
			उक्त श्रेणियों के 117.42 लाख परिवारों को सम्मिलित कर पात्रता पर्ची जारी की गई है।
5.	शक्कर वितरण	अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को रू. 20 प्रति किलो की दर से एक किलो शक्कर प्रतिमाह प्रति परिवार वितरण	अन्त्योदय अन्न योजना के पात्रता पर्चीधारी परिवारों को।
6.	कल्याणकारी एवं छात्रावास योजना	भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों एवं अन्य कल्याणकारी संस्थाओं के रहवासियों को गेहूं रु 5 तथा चावल रु 6.50 प्रतिकिलो की दर से प्रदाय। राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाकर अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रावासों में निवासरत छात्र/ छात्राओं को रू. 1 प्रति किलोग्राम खाद्यान्न का प्रदाय किया जाता है। पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं एवं कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत हितग्राहियों को गेहूं रू. 5 तथा चावल रू. 6.50 प्रति किलो की दर से प्रदाय।	आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्थाओं को पात्रता है। उक्त संस्थाओं के जिन हितग्राहियों का विभागीय पोर्टल पर सत्यापन किया जाता है उनको खाद्यान्न की पात्रता है।
7.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	योजनांतर्गत पात्रता रखने वाले परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदाय जिसमें कनेक्शन जारी करने हेतु प्रतिभूति राशि, गैस कनेक्शन स्थापित करने का व्यय, ब्लू बुक की राशि हितग्राही से प्राप्त नहीं की जाती है। गैस चूल्हा एवं प्रथम रिफिल की राशि भी ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है जिसका समायोजन 06 रिफिल उपरांत हितग्राही को देय अनुदान की राशि से समायोजित की जाती है।	आर्थिक सामाजिक एवं जातिगत जनगणना 2011 सम्मिलित परिवारों में से 7 वंचित श्रेणी के परिवार। विस्तारित उज्ज्वला योजनांतर्गत सम्मिलित निम्न श्रेणी के परिवार • अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार। • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही। • समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार। • समस्त वनवासी। उक्त परिवारों को 14 exclusion creteria में सम्मिलित न हो।
8.	समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन	भारत सरकार द्वारा गेहूं एवं धान के घोषित समरथन मूल्य पर उपार्जन।	ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत पंजीकृत प्रदेश के किसानों से उनके द्वारा बोई गई फसल का निर्धारित उत्पादकता अनुसार उपार्जन करना।

अवर अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय